

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)-05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक- 21/04/2026  
प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव,  
खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।  
सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।  
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है एवं राज्य में लोगों के समक्ष खाना बनाने हेतु रसोई गैस (एल0पी0जी0) की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके मद्देनजर रसोई गैस (एल0पी0जी0) की कमी के निवारण हेतु राज्य में खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला की आपूर्ति किया जाना है।

उक्त के आलोक में आपादा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है।

अतएव उक्त मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण कराने की दिशा में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।


अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
21/4/26  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)-05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक- 21/04/2026  
प्रतिलिपि:-राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना एवं निदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार राज्य खनन निगम लि0 (BSMCL), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/26  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)-05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक-21/04/2026  
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक  
आपूर्ति निगम, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना/विशिष्ट पदाधिकारी,  
अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी  
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति  
पदाधिकारी एवं सभी आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21/4/26  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)-05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक-21/04/2026  
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के  
प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
21/4/26  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)-05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक-21/04/2026  
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान आप्त सचिव,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
21/4/26  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)-05/2026 1925/खाद्य, पटना/दिनांक-21/04/2026  
प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव कोषांग/आई0 टी0 मैनेजर को मार्गदर्शिका की प्रति ई-मेल  
एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/एस0पी0आई0टी0 को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21/4/26  
सरकार के सचिव।

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में मार्गदर्शिका।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की परिभाषा 2(घ) में आपदा को परिभाषित किया गया है, जिसमें वर्णित है कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है एवं लोगों के समक्ष खाना बनाने हेतु रसोई गैस की किल्लत हुई है जो कि वर्तमान में मानवकृत आपदा के श्रेणी में आता है।

उक्त के निदान हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-38 के तहत राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय तथा ऐसे और उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे एवं धारा-39 में राज्य सरकार के विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है जिसमें वर्णित है कि प्रत्येक विभाग राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण, शमन, तैयारी और क्षमता-निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करें।

अतः उपरोक्त के आलोक में उत्पन्न ऊर्जा संकट जैसी आपदा की स्थिति में रसोई गैस (LPG) की कमी के निवारण हेतु राज्य में खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला की आपूर्ति किया जाना है।

01. उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2026 को सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में ईंधन की कमी के मद्देनजर कोयला को वैकल्पिक ईंधन उपयोग हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर संबंधित विभाग यथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग एवं खनन विभाग को निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।

02. उक्त के आलोक में विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में वर्तमान परिदृश्य में कोयला वितरण व्यवस्था लागू करने हेतु आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जन

वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से कोयले का आपूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण किया जाएगा।

03. कोल हेड से जिला मुख्यालय तक तथा जिला मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय/जन वितरण प्रणाली दुकानों तक कोयला के उठाव, परिवहन एवं आपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था हेतु दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

(क) बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड (BSMCL) का दायित्व :-

- (i) राज्य में कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड कैनलाइजिंग एजेंट (Canalizing Agent) नामित है।
- (ii) थोक विक्रेता के माध्यम से कोल हेड से जिला मुख्यालय तक कोयले के उठाव, आपूर्ति एवं परिवहन की जवाबदेही BSMCL की होगी।
- (iii) जिला मुख्यालय स्तर पर थोक विक्रेताओं का निबंधन (Registration) इत्यादि कराने की जिम्मेवारी बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSMCL) की होगी।
- (iv) BSMCL द्वारा जिला स्तर पर Cooking Coal के क्रय एवं विक्रय हेतु एक या अधिक थोक विक्रेताओं का चयन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (v) BSMCL द्वारा कोल इण्डिया (Coal India) से कोयले की मांग (Demand) किया जाएगा एवं जिले के थोक विक्रेताओं को अधियाचना अनुसार कोयले की आपूर्ति की जाएगी।
- (vi) उक्त कार्य हेतु थोक विक्रेता को 03 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज देय होगा।
- (vii) उक्त हेतु BSMCL को 02 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगा।

(ख) जिला टास्क फोर्स का दायित्व :-

- (i) जिला टास्क फोर्स परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में काम करेगी।
- (ii) जिला टास्क फोर्स द्वारा कोल हेड से थोक विक्रेता के गोदाम तक परिवहन, हथालन इत्यादि दर का निर्धारण किया जाएगा।
- (iii) थोक विक्रेता के गोदाम से जन वितरण प्रणाली से पंचायत मुख्यालय/जन वितरण प्रणाली दुकान तक परिवहन दर इत्यादि का निर्धारण किया जाएगा।
- (iv) कोल हेड से जिला मुख्यालय में अवस्थित थोक विक्रेता के गोदामों तक तथा जिला मुख्यालय में अवस्थित थोक विक्रेता के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकानों तक किये जाने वाला परिवहन शुल्क के संबंध में जिला

टास्क फोर्स द्वारा परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में दूरी के आधार पर कोयले के दर का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा :-

- (a) कोयले का मूल्य
- (b) 02 प्रतिशत BSMCL का मार्जिन
- (c) थोक विक्रेता का परिवहन व्यय
- (d) थोक विक्रेता का 03 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज
- (e) जन वितरण प्रणाली विक्रेता का परिवहन व्यय
- (f) जन वितरण प्रणाली विक्रेता का लागत मूल्य पर 15 प्रतिशत मार्जिन (12 प्रतिशत लाभ + 03 प्रतिशत आकस्मिकता व्यय)।

04. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का उत्तरदायित्व :-

- (i) संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे तथा अनुमंडलवार/प्रखंडवार कोयले का आवंटन पणन पदाधिकारी की अनुशंसा पर करेंगे एवं इसकी सूची संबंधित थोक विक्रेता को उपलब्ध करायेंगे।
- (ii) संबंधित जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्ड के डाटाबेस के आधार पर जिलावार कोयले की आवश्यकता का आकलन करते हुए कोयले की अधियाचना थोक विक्रेता के माध्यम से BSMCL को उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुक परिवारों को वितरण हेतु मात्रा का निर्धारण विभाग द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (iv) e-PoS यंत्र के माध्यम से वितरण के पश्चात निर्गत किये जाने पर्ची में कोयला का मात्रा एवं मूल्य अंकित करने हेतु NIC एवं संबंधित एजेन्सी से समन्वय करेगा।

05. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दायित्व :-


- (i) जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति हेतु ससमय निर्धारित दर के अनुरूप चालान के माध्यम से अग्रिम राशि निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- (ii) जिला मुख्यालय अवस्थित थोक विक्रेता के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा स्वयं के खर्च पर उपर्युक्त कंडिका-03(ख)(iii) के अनुसार निर्धारित दर पर कोयला का उठाव किया जाएगा।
- (iii) राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) एवं अन्त्योदय श्रेणी (AAY) के

परिवारों को e-PoS यंत्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

- (iv) जिला टास्क फोर्स द्वारा उपर्युक्त कंडिका-03(ख)(iv) के अनुसार निर्धारित दर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित प्रत्येक लाभुक परिवारों को प्रति माह 100 किलोग्राम अर्थात् 01 क्वींटल कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।
- (v) जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कोयले के वितरण के विरुद्ध उनकी लागत पूँजी पर कुल 15 प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, जिसमें 12 प्रतिशत पूँजी पर लाभ एवं 03 प्रतिशत आकस्मिक व्यय शामिल होगा।

06. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण इत्यादि से संबंधित संगत प्रावधान यथा निरीक्षण, छापेमारी इत्यादि कोयले के उठाव एवं वितरण पर भी प्रभावी होंगे।

07. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(अभय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव।